तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (वेसलो की जब्ती या कैद करना और बिक्री करना) विनियम, 1988

जलभूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1989

(भारत के राजपत्र में 19.01.1989 को प्रकाशित)

सा0का0नि0 सं0 39(असा0) – महा पत्त्न न्यास अधिनियम, 1962 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 123 द्वारा , तूत्तुक्कुडि पत्तन के बोर्ड के न्यासी को दिए गए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाए गए तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (वेसलो की जब्ती या कैद करना और बि क्री करना) विनियम, 1988 और तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में दिनांक 6 जुलाई, 1988 एवं 13 जुलाई, 1988 को प्रकाशित तथा इस अधिसूचना की अनुसूची में निहितानुसार एवं 24 अगस्त, 1988 को प्रकाशित शुद्धि–पत्र को, एतद्द्वारा अनुमोदन करती है।

अनुसूची

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

अधिसूचना

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 64 एवं धारा 53 के साथ पठित धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूत्तुक्कुडि पत्तन के बोर्ड के न्यासी द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 **लघु शीर्ष एवं प्रारंभ :** (1) इन विनियमों को तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (वेसलों की जब्ती या कैद करना और बि क्र ी करना) विनियम, 1988 कहे जाएँ।

(2) ये, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2 **आवेदन :** ये विनियम सभी वेसलो को लागू होगें, इन सभी से परे कि महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के तहत या किसी विनियम या उसके अधीन बनाए गए किस अन्य के तहत, कोई दर या दाण्डिक या दोनो को भुगतान किया करते हैं, लेकिन उन वेसलों को लागू नहीं होगा जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का है या किसी विदेशी राज्य को किसी प्रकार का युद्ध वेसल होता है ।

3 **परिभाषा :** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो :

(i) **'अधिनियम'** का तात्पर्य है, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) :

(ii) **'उप संरक्षक'** का तात्पर्य है अधिकारी जो अभी के लिए समुद्री विभाग, तूत्तुक्कुडि पत्तन के प्रभारी हैं और उप संरक्षक के प्रतिनिधि एवं सहायक और उप संरक्षक के प्राधिकरण के अधीन अन्य कोई अधिकारी भी शामिल हैं।

(iii) **'फार्म'** का तात्पर्य है इन विनियमों के साथ संलग्नित प्रपत्र।

(iv) **'दर'** का तात्पर्य है अधिनियम के अधीन भुगतान किए जाने वाले दरें या दाण्डिकें।

(v) इन विनियमों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द एवं अभिव्यक्ति लेकिन परिभाषित नहीं और अधिनियम में परिभाषित हैं, का तात्पर्य अधिनियम में उनके लिए नियत मतलब होगा।

4 वेसलों की जब्ती या कैद करना :

(i) किसी भी वेसल के लिए, जिसके लिए दरें/दाण्डिकों को अदा नहीं किया गया है और पत्तन पर पडा हुआ है, उप संरक्षक द्वारा प्रपत्र । में मांग उठाते हुए, उक्त मांग जारी करने की तारीख से सात दिनों के अंदर, सभी दरों या दाण्डिकों को उक्त मास्टर द्वारा अदा किए जाने हेतु दोषी वेसल के मास्टर को भेजा जा सकता है।

(ii) उक्त मांग के साथ, संबंधित वेसल के मालिक या एजेन्ट के विरूद्ध उठाए गए दरों या दाण्डिकों के पूरे विवरणों से निहित बिलों की प्रति और बोर्ड को देय रहे बाकी के भुगतान विवरण की प्रति भी भेजी जानी है।

(iii) उक्त मांग को मास्टर के विरूद्ध उठाया जाएगा और मास्टर की अउपलब्धता पर, वेसल के मास्ट पर मांग सूचना को चिपकाने से मास्टर पर मांग की सेवा के रूप में समझा जाएगा।

(iv) अगर दोषी वेसल का मास्टर, मास्टर को दिए गए मांग में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अंदर कोई भी भाग या दरों/दाण्डिकों को भुगतान करने पर इंकार या चूकता है, तो बोर्ड ऐसे वेसल को जब्त या कैद कर सकता है और बोर्ड को दय रकम जब तक प्राप्त नहीं किया जाता के साथ जब तक जब्त या कैद के अधीन के वेसल की अवधी के दौरान के लिए प्रोदभूत कोई ऐसी आगे की रकम को अदा किए जाने तक, वेसल में के टेक्कल, अप्पेरल एवं फर्नीचरों को जब्ती या कैद में मुनाफा के तौर पर रख सकता है।

(v) दोषी वेसल को जब्त या कैद करने केलिए, उप संरक्षक को प्रपत्र ।। में कैद का वारंट जारी करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से देय निर्दिष्ट रकम और बोर्ड को देय रकम के साथ बोर्ड की पूर्ण संतुष्टि के लिए बोर्ड को अदा किए जाने वाले प्रोदभूत दरों या दाण्डिकों की रकमों को भी अंकित करना होगा।

(vi) (ए) कैद का वारंट, वेसल के मास्टर को दिया जाएगा और उसकी एक प्रति को वेसल के मास्ट पर भी चिपकाया जाएगा।

(बी) उस स्थिति में जब मास्टर उपलब्ध नहीं हैं या वारंट को लेने से इंकार करते हैं तो, वारंट की प्रति को मास्ट पर चिपकाए जाने को तात्पर्य यह होगा कि मास्टर को वारंट की सेवा दी जा चुकी है।

(vii) अगर वेसल के जब्त या कैद होने के उक्त दरों/दाण्डिकों या लागतों या उसे रखते हुए, जब्ती या कैद किए जाने की नोटिस की तारीख से अगले पाँच दिन की अवधि के अंदर, बोर्ड की पूर्ण संतुष्टि की ओर वेसल के मालिक या एजेन्ट द्वारा, अदा नहीं किया जाता है तो बोर्ड वेसल या उसके सामानों को, जिसे जब्त या कैद किया गया हो को बेच सकता है।

(viii) अगर किसी आदेश द्वारा किसी विदेशी वेसल को जब्त या कैद करके रखा जाता है तो, पताका देश के एम्बेसी एवं भारत सरकार के जलभूतल परिवहन मंत्रालय को इसकी सूचना भी दी जानी चाहिए।

5 जब्त या कैद वेसल की बिक्री :

(i) जब्त वेसल के रिजर्व बिक्री मूल्य को जानने के लिए अनुमोदित पर्यवेक्षकों द्वारा वेसल का मूल्यांकन पर्यवेक्षण , उप संरक्षक करवाएंगें।

(ii) उप संरक्षक, नौवहन के महा निदेशक से अनुमति प्राप्त करेंगे और उसके बाद ही वेसल पर के टेकल, अपेरल एवं फर्नीचर की बिक्री करेंगे।

(iii) मालो की बिक्री अधिनियम, 1930 के प्रावधानों के अनुसार और निविदा सूचना के अनुसार की बिक्री की शर्तों के अनुसार, ही बिक्री की जाएंगी

(iv) निविदा की अंतिम तारीख को निर्दिष्ट करते हुए, कम से कम चार प्रमुख समाचार पत्रों में, जिसमें एक हिन्दी और एक क्षेत्रीय भाषा की दैनिकी शामिल है, में फॉर्म –।। में के अनुसार, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए, उत्तरव्यापी खरीदारों से मोहरबंद निविदाओं को आमंत्रित किया जाना है।

(v) उप संरक्षक द्वारा नियत विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, प्रेस में बिक्री सूचना के प्रकाशन होन जाने के उपरान्त वेसल का निरीक्षण करने हेतु, उत्तरव्यापी खरीदारों को अनुमति दी जानी है।

(vi) हरेक मामले में उप संरक्षक द्वारा नियत किए गए अनुसार, बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा किए जाने के वाले एर्नेस्ट रकम निक्षेप को हरेक निविदा के साथ भेजा जाना है।

(vii) नियत तारीख एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं को संक्षेपतः अस्वीकार किया जाएगा।

(viii) उप संरक्षक द्वारा नियत समय एवं तारीख पर उपस्थित निविदाकारों की उपस्थिति में, मोहरबंद निविदाओं को खोला जाना है और किसी कारण से अगर कोई निविदाकार, निविदा खोलने के नियत समय पर उपस्थित नहीं होता है तो उसके निविदा को बिना खोले एवं बिना कोई कारण दिए, अस्वीकार किया जाएगा।

(ix) ऑफर की स्वीकृति को, सफल निविदाकार को सूचित किया जाएगा।

(x) निविदा की स्वीकृति की तारीख से पाँच दिन के अंदर, बोली रकम के 25 प्रतिशत को सफल निविदाकार द्वारा जमा किया जाना है और बाकी के शेष रकम को 15 दिनों के अंदर जमा करना है। निविदा मूल्य के अलावा, सफल निविदाकार को, उप संरक्षक द्वारा नियत सुरक्षा निक्षेप की रकम, जो कि सफलतापूर्वक काम पूरा होने के उपरान्त, तीन महीने के अंदर, वापस लौटा दिया जाएगा, को ऐसी रकम/बैंक गारंटी भी जमा करनी होगी।

(xi) निविदा स्वीकृत किए जाने की तारीख से पाँच दिन के अंदर, बोली की रकम के 25 प्रतिशत के भुगतान में चूक होने पर, आदेशित बिक्री को अन्यथा, अपनेआप प्रतिसंहरण हो जाएगा और एर्नेस्ट पैसे को जब्त कर लिया जाएगा और वेसल को निविदाकार, जिसकी निविदा स्वीकार की गई, के जोखिम में पुनर्बेचा जाएगा।

(xii) अगर किसी कारणवश वेसल को हार्बर से 30 दिनों के अंदर नहीं हटाया गया तो, सामान्य प्रभारों से परे, पत्तन के मानदरों में निहितानुसार, अतिरिक्त बर्थ भाडे प्रभारित करते हुए उगाही की जाएगी।

(xiii) किसी भी परिस्थिति में, खरीददार को पत्तन सीमाओं के अंदर या हार्बर के अंदर, जहाजों को डिस्मेन्टल या ब्रेक करने की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा अगर इस तरह से करने की विशेष अनुमति दी गई हो।

6 वेसल के खरीददार की देयिताएं :

(i) निविदा स्वीकार करने की तारीख पर या से, सभी दरें/दाण्डिक एवं अन्य प्रभारें खरीददार के लेखे में होगा।

(ii) निविदा स्वीकार करने पर, खरीददार को 30 दिनों के लिए मान्य, ऐसी अवधि केलिए उप संरक्षक द्वारा देय किए जाने हेतु, प्राक्कलित किए गए अनुसार के पत्तन देयों, शुल्क एवं प्रभारों के रकमों को पत्तन को जमा करना होगा।

(iii) सीमाशल्क एवं उत्पाद शुल्कें, बिक्री कर, स्थानीय कर.... इत्यादि खरीददार के लेखे में लागू होगा और उन्हें संबंधित प्राधिकारियों को ऐसे शुल्क एवं करों की रकम को प्रेषण करना होगा तथा पत्तन द्वारा वेसल को निकासी प्रदान करने से पूर्व ऐसे भुगतानों के लिए प्राप्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) प्रमाणिकृत मास्टर द्वारा वेसल को स्वीकार करने के तुरंत बाद, हार्बर के अंदर वेसल के रहने तक की अवधि के दौरान पर्याप्त क्रू संख्या सहित प्रमाणिकृत अधिकारी एवं प्रमाणिकृत इंजीनियरों को नियोजित करना होगा।

(v) खरीददार द्वारा, वेसल की मेनिंग एवं रखरखाव के लिए आवश्य व्यवस्था करने में चूक होने के मामले में, पत्तन प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति को कॉन्ट्रक्ट एवं नियोजित कर सकता है और इस संबंध में उपगत सभी यथोचित खर्चों को खरीददार से प्रतिलभ्य किया जाना है।

फार्म – ।
(विनियम 4(1) देखें)

सेवा में
मास्टर
एमवी/एस.एस

विषय : एम.वी दर/दाण्डिक – दरों/दाण्डिकों अभुगतान – तुरंत अदायगी की मांग करते हुए नोटिस जारी करना

महोदय,

कृपया मेरे उक्त पत्र को देखें। आपसे दिनांकः ..... , ... , ... , तक या से पहले, पत्तन न्यास को नीचे दिए गए अनुसार के देयों को, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 / विनियम या आदेश के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित दरों/दाण्डिकों की ओर, रु ..... की रकम को अदा करने हेतु अनुरोध किया गया था। आपके द्वारा वेसल के मास्टर के रूप में या एजेन्ट द्वारा, उक्त किए गए दरों/दाण्डिकों की ओर पत्तन द्वारा मांग किए गए देयो का भुगतान करने हेतु, कोई भी कदम उठाया नहीं गया है। आज की तारीख ..... के अनुसार, आपके नियंत्रण के अधीन वेसल से देय रु ..... की रकम है।

2 इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों में उपर्युक्त भुगतान करने हेतु एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है, जिसके चूके जाने पर, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 के प्रावधानों के अधीन, वेसल को जब्त या कैद या बिक्री किया जाएगा और उससे आने वाले रकम बोर्ड को देय होगा, जो कि जब्त या कैद के अधीन के ऐसे वेसल के दौरान की अवधि के लिए प्रोदभूत होने वाले रकम सहित, अदा होगी।

भवदीय,

उप संरक्षक

प्रति : एम.वी के मालिक मेसर्स .....

प्रति : वेसल के एजेन्ट मेसर्स .....

फार्म – ।।
(विनियम 4(5) देखें)

सेवा में
मास्टर
एमवी/एस.एस

विषय : एम.वी दर/दाण्डिक – दरों/दाण्डिकों अभुगतान – तुरंत अदायगी की मांग करते हुए नोटिस जारी करना

महोदय,

कृपया मेरे उक्त पत्र को देखें। आपसे दिनांकः ..... तक या से पहले, पत्तन न्यास को नीचे दिए गए अनुसार के देयों को, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 / विनियम या आदेश के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित दरों/दाण्डिकों की ओर, रु ..... की रकम को अदा करने हेतु अनुरोध किया गया था। आपके द्वारा वेसल के मास्टर के रूप में या एजेन्ट द्वारा, उक्त किए गए दरों/दाण्डिकों की ओर तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास द्वारा मांग किए गए देयो का भुगतान करने हेतु, कोई भी कदम उठाया नहीं गया है। आज की तारीख ..... के अनुसार, आपके नियंत्रण के अधीन वेसल से देय रु ..... की रकम है।

2 तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास को उपर्युक्त दरों/दाण्डिकों के अभुगतान को देखते हुए, मैं एतद्द्वारा, महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 64 के प्रावधानों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि वेसल एमवी ..... को जब्त किया जाए और जब तक कि तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास को देय रकम सहित वेसल की जब्ती या कैद किए जाने की अवधि के लिए प्रोदभूत रकम को भी अदा नहीं किया जाता।

कृपया यह भी ध्यान दें कि इस मामले में, उक्त रकम एवं जब्ती की तारीख अर्थात् ..... से 5 दिनों के अंदर चुकाया नहीं जाता तो मैं, उक्त अधिनियम की धारा 64 के अधीन दी गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, ऊपर के वेसल को बिक्री करने हेतु बाध्य हूँगा और इसकी बिक्री से प्राप्त आमदनी को, वेसल की बिक्री करने हेतु हुए लागत सहित बोर्ड को देय प्रभारों की ओर समायोजित किया जाएगा।

भवदीय,

उप संरक्षक

प्रति : एम.वी के मालिक मेसर्स .....

प्रति : वेसल के एजेन्ट मेसर्स .....

फार्म – III
(विनियम 5(4) देखें)

विज्ञापन

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास ''जैसा है वैसा ही'' के आधार पर, वेसल एमवी ..... की बिक्री के लिए इच्छुक खरीददारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

2 वेसल का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

वेसल का नाम

निर्माण वर्ष

जी.आर.टी

एन.आर.टी

लंबाई

चौढाई

गहराई

डेडवेइट

वर्गीकरण

इंजिन

बीएचपी

एलडीटी

निर्माण का वर्ष

यार्ड

3 ..... के नामे ..... पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा रु ..... (रुपया .....) के बयाना निक्षेप सहित उप संरक्षक, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास को, प्रेषित दोहरे मुहरबंद कवरों में ऑफरें, दिनांक ..... को ..... बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। निविदा के कवर के ऊपर ''एमवी ..... की खरीद हेतु निविदा'' लिखी होनी चाहिए।

4 देय तारीख एवं समय के बाद प्राप्त सभी निविदाओं को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

5 उप संरक्षक , तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के कार्यालय में दिनांक ..... को वेसल की खरीद हेतु सभी मोहरबंद निविदाओं को खोला जाएगा। ऑफर की स्वीकृति को सफल निविदाकार को सूचित किया जाएगा।

6 सफल निविदाकार को निविदा की स्वीकृति की तारीख से पांच दिनों के अंदर, बोली रकम के 25 प्रतिशत को और उसे तारीख से 15 दिनों के अंदर, शेष रकम को अदा करना होगा। कोई भी बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा की स्वीकृति की तारीख से पांच दिनों के अंदर, बोली रकम के 25 प्रतिशत के भुगतान में चूके जाने पर, बिक्री किए गए आदेश अपनेआप ही प्रतिसंहरण हो जाएंगे और रु ..... के बयाना निक्षेप को जब्त कर लिया जाएगा एवं निविदाकार के लागत जोखिम में जहाज को पुनःबेचा जाएगा, उस निविदाकार को जिसका निविदा स्वीकार किया जाता है। अगर विचाराधीन रकम को उक्त 15 दिनों की अवधि के अंदर अदा नहीं किया जाता है तो बिक्री अपनेआप प्रतिसंहरण होंगे और बयाना पैसों का जब्त कर लिया जाएगा। पहले से ही अदा किए गए 25 प्रतिशत की रकम को, उक्त बिक्री के लिए होने वाले किसी भी कमी या अन्य खर्चों को चुकाने हेतु प्रयोग किया जाएगा।

7 सीमाशुल्क, उत्पाद एवं आयात शुल्क, बिक्री कर, स्थानीय कर ..... इत्यादि के लिए ''खरीददार लेखा'' लागू होगा।

8 निविदाओं को, उप संरक्षक, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास की उपस्थिति में दिनांक ..... को ..... बजे खोला जाएगा। उनके कार्यालय में और किसी भी निविदा की स्वीकृति पूर्णतया उप संरक्षक, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के विवेक पर होगा।

9 बिक्री की तारीख से 30 दिनों के अंदर, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास से जहाज को हटा दिया जाएगा। इस समय के दौरान, जहाज को प्रमाणिकृत मास्टर, प्रमाणिकृत अधिकारी एवं प्रमाणिकृत इंजीनियर प्लस एवं पर्याप्त संख्या में क्रू द्वारा कार्मिक आवश्यकताओ से पूर्ण रखा जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं, खरीददार द्वारा किए जाएंगें।

10 खरीददार को, महा पत्तन न्यास (वेसलो की जब्ती या कैद करना और बिक्री करना) विनियम, 1998 के अनुसरण में हार्बर से वेसल को वास्तविक तौर पर हटाए जाने की तारीख तक वेसल की बिक्री तारीख से सभी दर/दाण्डिक अदा करना होगा।

11 किसी भी परिस्थितियों में, खरीददार को पत्तन की सीमाओं के अंदर या हार्बर के अंदर जहाज को डिस्मेन्टल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर ऐसा अन्यथा अनुमति नहीं दिया गया है।

12 जहाज, जो कि .....से पडा हुआ है, को उप संरक्षक के साथ दिनांक ..... से ..... तक पूर्व नियुक्ति द्वारा निरीक्षित किया जाए।

13 पत्तन, कोई भी कारण दिए बगैर, सभी निविदाकारों या किसी भी निविदाकार को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

(पत्तन न्यास)

(एफ नं0 पीआर – 16012/8/88– पीजीओ)

योगेन्द्र नारेन, संयुक्त सचिव